कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)

क्रमांक :– 32 दिनांकः– 18.04.2026 22

:: संशोधित कार्यालय–आदेश ::

मैं, ऋचा चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली एतद्द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 29 दिनांक 01.04.2026 में आंशिक संशोधन किया जाकर** पाली न्यायक्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक दाण्डिक कार्यों का निस्तारण/सुनवाई करने के लिये दिनांक **26.04.2026** को श्री **शिवदान चौधरी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत, जिला–पाली के स्थान पर श्रीमती **अनुराधा दाधीच,** अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत, जिला–पाली को अधिकृत करती हूं।

इस संबंध में शेष आदेश क्रमांक 29 दिनांक 01.04.2026 यथावत् रहेगा।

–Sd–
(ऋचा चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)

क्रमांकः– 1020 दिनांकः– 18.04.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली/(सा.दं.)पाली/बाली/सोजत/सुमेरपुर/मारवाड़ जंक्शन
3. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, पाली।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली/मारवाड जंक्शन/सुमेरपुर/देसूरी/बाली/सोजत/सादडी/रानी।
5. अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1/2, पाली/सोजत/सुमेरपुर।
6. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन आई एक्ट केसेज) संख्या 1/2 पाली।
7. **जिला पुलिस अधीक्षक, पाली को प्रेषित कर लेख है कि पाली न्यायक्षेत्र के समस्त थानाधिकारियों को निर्धारित समय (11.00 ए.एम. से 02.00 पी.एम.) में ही आवश्यक रूप से रिमाण्ड न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्य प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।**
8. उप निदेशक अभियोजन, पाली को अभियोजन अधिकारी की ड्युटी की व्यवस्था हेतु।
9. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पाली
10. प्रभारी, कण्ट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पाली
11. सिस्टम ऑफिसर – जिला न्यायालय, पाली को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)